पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०।
9.2.21 रेस्पो० ने जरिये वकील एक प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण से संबंधित मूल दावा खारिज रहत अदालत द्वारा दिनांक 17.6.19 को खारिज किया जा चुका है। उक्त मूल दावा की अपील भी अदालत श्रीमान में पेश हो चुकी है। ऐसी स्थिति में धारा 212 R.T. एक्ट की मद्द अपील चलने योग्य नहीं है। अत: अपील खारिज की जावे।

जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने रेस्पो० के कथनों का समर्थन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगणों द्वारा दिये गये तर्कों पर गौर किया। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व वाद संख्या 138/2011 उनवान किशनलाल बनाम जगदीश सिंह वगैरा में

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

	हुक्म या कार्यवाही	
	पारित निर्णय दिनांक 17.6.19 की फोटो प्रति पेश की है, जिससे अवलोकन सिद्ध है कि उक्त मूल वाद निस्तारित हो चुका है। प्रस्तुत अपील धारा 212 R.T. एक्ट के प्रा० पत्र में पारित किये गये आदेश के खिलाफ है। चूंकि जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो ऐसी स्थिति में धारा 212 के खिलाफ पेश की गई यह अपील इन्फैक्चस हो चुकी है। अत: यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	